सत्र वाद संख्या : 96/2025 , सरकार बनाम जीतू आदि।

<u>दिनांक: 23.02.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त राकेश उपस्थित आया, जबकि अभियुक्त जीतू जिला कारागार से जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थित हुआ। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र 7B हेतु नियत है। उभयपक्षों को प्रार्थना पत्र 7B पर सुना गया। इसी दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रार्थना पत्र 7B मु०अ०सं० 122/2025 अन्तर्गत धारा 109(1) बी.एन.एस. व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है, जो कि सत्र वाद संख्या 97/2025 से संबंधित है। जबकि इस प्रार्थना पत्र में सत्र वाद संख्या 96/2025 त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया गया है। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त त्रुटि को स्वीकार करते हुए दुरूस्त करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र में सत्र वाद दुरूस्त करने की अनुमति दी जाती है तथा उक्त प्रार्थना पत्र 7B को सत्र वाद संख्या 97/2025 सरकार बनाम जीतू आदि में उचित क्रमांक अंकित करते हुए व सूचियों को दुरूस्त करते हुए रखा जाए। पत्रावली दिनांक 06.03.2026 को वास्ते आदेश.............हेतु पेश हो।

दिनांक: 23.02.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.02.23 16:38:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court